न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 90/2021

1 प्रभूराम पुत्र गोकल
2 राजकुमार पुत्र प्रभूराम
3 रोहिताश पुत्र हनुमान
4 मनीराम पुत्र हनुमान
समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
2 फुलादेवी स्त्री स्व. हीराराम
3 सोमवीर पुत्र स्व. हीराराम
4 सन्दीप पुत्र स्व. हीराराम
5 रवि पुत्र स्व. हीराराम
6 सुरेश देवी स्त्री स्व. दलीप
7 कर्मवीर पुत्र स्व. दलीप
8 पुजा पुत्री स्व. दलीप
9 अमीत पुत्र स्व. दलीप
10 बबलु पुत्र स्व. दलीप
समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
11 कौशल्या पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
12 रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 किशनलाल पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
14 धन्नाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
15 लीलाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
16 जयकरण पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
17 झण्डुराम पुत्र इन्द्राज जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
18 गोविन्दराम पुत्र मूलाराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
19 रामकरण पुत्र कन्हीराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
20 लीलाराम पुत्र सागरमल जाति नाई निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
21 जयकरण पुत्र बीरबल जाति मेघवाल निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
22 मामराज पुत्र गणेशाराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
23 फताराम पुत्र गणेशाराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू
24 राजेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
25 जितेन्द्र कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
26 मनोज कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

27 कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
28 कमलेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
29 मुन्नाखां पुत्र रमजान खां जाति राण निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 26.10.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम प्रभुराम वगैरह मु.नं. 296/2016 प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजकी अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 296/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 150 रकबा 2.04 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम जाखोद तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भूमिधारी ने विचारण न्यायलाय के समक्ष अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 तथा अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 के पिता हनुमान एवं बीरबल के पुत्र हीराराम व दलीप व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पत्र पेश किया। उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.10.2021 को निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 150 ग्राम जाखोद पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु नहीं होते। भूमिधारी ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के दावा में लिखा है कि प्रतिवादीगण ने उक्त जमीन में मकान, चार दिवारी, टिनसेड आदि बनाकर उक्त जमीन का कृषि कार्य के बजाय अकृषि प्रयोनार्थ उपयोग में ली जा रही है। कोई खातेदार अपनी जमीन में भु सुधार के उद्देश्य से एवं कृषि यन्त्र व फसल सुरक्षा के लिये मकान व टिनसेड कानूनन बना सकता है तथा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिये एक खातेदार अपनी जमीन के चारों और चार दिवारी का निर्माण कर सकता है। एक किसान के द्वारा कृषि भूमि में किये गये उपरोक्त कार्य कानूनन अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य के तहत नहीं आते। जमीन हाल खसरा नम्बर 150 में हनुमान की पुत्री कौशल्या अपीलान्ट नम्बर 4 व 6 प्रत्येक का 5/54 हक हिस्सा है तथा अपीलान्ट नम्बर 1 प्रभुराम का उक्त जमीन में 13/72 हक हिस्सा है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट नं. 2 राजकुमार का 13/72 हक हिस्सा है तथा बीरबल का 13/72 हक हिस्सा है एवं इसी मुताबिक उक्त जमीन के खातेदार अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है उक्त जमीन कृषि कार्यो हेतु उपभोग में ली जा रही है। विवादित जमीन अनुसूचित जाति के वर्ग की जमीन है। उक्त जमीन के किसी भी खातेदार ने कभी भी किसी भी वर्ग के व्यक्ति को विक्रय ईकरारनामा व अन्य किसी लिखत के माध्यम से जमीन विक्रय नहीं की। उक्त जमीन के बाबत कोई भी विक्रय ईकरारनामा व लीखत जो बना है व समस्त लीखत फर्जी व कुटरचित है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद पत्र में जाति से कुमावत व्यक्तियों को व नाई व राणा व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है। जिनके हक में बनी समस्त लीखत फर्जी व कुटरचित है। अनुसुचित जाति का व्यक्ति किसी भी तरीके से स्वर्ण जाति के व्यक्ति को कृषि भूमि विक्रय नहीं कर सकता तथा ना ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित कर सकता है। अगर किसी अनुसुचित जाति के व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि का किसी भी तरफ से हस्तानान्तरण किया तो वह हस्तानान्तरण धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रारम्भ से ही शुन्य कि श्रेणी में आता है इस प्रकार के हस्तानान्तरण की कानून की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री में लिखा है कि प्रतिवादी नम्बर 3,5,6,9,12,14 का उक्त जमीन पर प्रतिकुल कब्जा प्रथम दृष्ट्या सिद्ध होता है तथा पैरोकार की रिपोर्ट भी प्रतिकुल कब्जे को सिद्ध करती है। कानून से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की कृषि भूमि पर प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में राजस्थान भु राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये सपरिवर्तन) नियम 1992 के तहत प्रतिकुल कब्जे के आधार पर गैर मुमकिन आबादी घोषित करने बाबत जो आलौच्य निर्णय पारित किया है। वह कानून के विरूद्ध ह। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प खण्डार)

के वाद पत्र में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि को गैर मुमकिन आबादी घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आलौच्य निर्णय व डिक्री अवैध रूप से पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में प्रतिवादी नम्बर 3 बीरबल पुत्र लीलू का 35–40 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका था तथा दावा में प्रतिवादी नं. 14 हीराराम व प्रतिवादी नम्बर 16 दलीप का देहान्त भी आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व हो चुका था दावा में प्रतिवादी नम्बर 4 हनुमान पुत्र सोहन भी करीब 3 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। कानून से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध नातो दावा पेश किया जा सकता तथा ना ही मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 22.12.2016 को दर्ज हुआ है। उसके बाद करीब 27 तारीख पेशीयों में न्यायालय की मोहर लगाकर आगामी पेशी नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 18.10.2021 को गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही करके आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को साक्ष्य सबुत व जबाब देही पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया विचारण न्यायालय के समक्ष दावा के समर्थन में भूमिधारी के शपथ पूर्वक बयान नहीं हुये तथा ना ही तहसीलदार/पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष भूमिधारी ने अपना दावा सिद्ध नहीं किया। अपीलांट नम्बर 3 व 4 रोहिताश व मनीराम विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में पक्षकार नहीं थे अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 का पिता हनुमान दावा पक्षकार था लेकिन उसकी मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 प्रत्येक 5/64 हक हिस्से के खातेदार है तथा काबिज काश्त है। इस प्रकार अपीलान्टस नम्बर 3 व 4 आलौच्य निर्णय व डिक्री से प्रभावित है। इसलिये अपीलान्ट नम्बर 3 व 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को आलौच्य निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि भूमि खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 2.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ़ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भुमि है का अकृषि प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट नम्बर 3 व 4 रोहिताश व मनीराम विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में पक्षकार नहीं थे अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 का पिता हनुमान दावा पक्षकार था लेकिन उसकी मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 प्रत्येक 5/64 हक हिस्से के खातेदार है तथा काबिज काश्त है। इस प्रकार अपीलान्टस नम्बर 3 व 4 विचाराधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित है। इसलिये अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई हनुमान की मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय में हनुमान के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जो नलिटी है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(अजमेर)